UPUN010017922022

न्यायालय Addl. District Judge Court No. 1,
उन्नाव

पीठासीन अधिकारी–(Kavita Mishra), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06229

सत्र परीक्षण सं0-S.T. No-441/2022

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा लोक अभियोजक उन्नाव।

................अभियोजक

प्रति

1– सुन्दर लाल पुत्र स्व0 राममूर्ति
निवासी–ग्राम बाबाखेड़ा मजरा भैसोरा, थाना सोहरामऊ, जिला उन्नाव।

.... अभियुक्त

सत्र परीक्षण सं0–441/2022
मु0अ0सं0–23/2022
धारा–304 भा0द0सं0
थाना–सोहरामऊ, जनपद–उन्नाव।

निर्णय

1– सत्र परीक्षण सं0–441/2022, मु0अ0सं0–23/2022 धारा–304 भा0द0सं0 थाना, सोहरामऊ जिला उन्नाव की पुलिस ने अभियुक्त सुन्दर लाल के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिसके आधार पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है–

वादिनी श्रीमती बिट्टो द्वारा थानाध्यक्ष थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय की दी गयी है कि, प्रार्थिनी श्रीमती बिट्टो पत्नी स्व0 राममूर्ति निवासी ग्राम बाबाखेड़ा मजरा (भैसोरा) थाना सोहरामऊ, तहसील हसनगंज, उन्नाव की निवासिनी हूँ। दिनांक–14.02.2022 को मेरे पति राम मूर्ति समय करीब 8.00 बजे शाम को खेत पर लगी मटर को आवारा पशुओं से बचाने

गये थे जो खेत पर मौजूद थे, उसी समय शराब के नशे में मेरा का लड़का सुन्दर पुत्र राममूर्ति निवासी बाबा खेड़ा भैसोरा थाना सोहरामऊ उन्नाव खेत पर पहुंच गया और मेरे पति राममूर्ति से मारपीट करने लगा। शोरगुल की आवाज खेत से होने की मुझें जानकारी मिली तो मै अपनी बेटी राम प्यारी व दामाद पिन्टू के साथ मौके पर पहुंचे तो मेरा का लड़का सुन्दर लाल पति को मार पीट कर गंभीर चोट पहुंचा कर भाग गया। गंभीर हालत देखते हुए हम लोग इलाज के लिए साधन तलाशने लगे तब तक देखा कि मेरे पति राममूर्ति की मृत्यु हो गई जिनका शव मौके पर खेत में ही पड़ा हुआ है। अतः सूचना को आयी हूॅ रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा की जाये।

3– वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त सुन्दर लाल के विरूद्ध दिनांक–14.02.2022 को समय 22:00 बजे मु0अ0सं0–23 / 2022 धारा–304 भा0दं0सं0 मे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसका का खुलासा जी0डी0 सं0–56 मे दिनांक 14.02.2022 को समय 22:00 पर किया गया। विवेचना संबंधित विवेचक को सुपुर्द की गयी। विवेचक द्वारा घटना–स्थल का निरीक्षण किया गया। नक्शा नजरी तैयार की तथा सभी आवश्यक साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। तदोपरान्त अभियुक्त सुन्दर लाल के विरूद्ध धारा–304 भा0द0सं0 मे आरोप–पत्र संख्या–49 / 2022 दिनांक 28.03.2022 को न्यायालय मे प्रेषित किया गया।

4– तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय द्वारा आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त अभियुक्त को तलब किया गया। इस वाद की पत्रावली को तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव ने दिनांक–14.04.2022 को विचारण हेतु इस न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त का विचारण किया गया।

5– उपार्पित पत्रावली प्राप्त होने पर सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक–07.06.2022 को अभियुक्त के विरूद्ध धारा–304 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

6– अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

कम संख्या	अभियोजन साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	अभियोजन कथानक में भूमिका / साक्षी की प्रकृति
1	पी0डब्लू0–1	बिट्टो	तथ्य के साक्षी (वादिनी मुकदमा)

2	पी0डब्लू0–2	लाला उर्फ लालराम	तथ्य के साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	दिनेश कुमार	तथ्य के साक्षी
4	पी0डब्लू0–4	ओम प्रकाश	तथ्य के साक्षी
5	पी0डब्लू0–5	डा0 राजीव गुप्ता	औपचारिक साक्षी (पोस्ट मार्टमकर्ता)
6	पी0डब्लू0–6	हे0 कां0 मोहर्रिर रेयाज अली	औपचारिक साक्षी (एफ.आई.आर. लेखक)
7	पी0डब्लू0–7	अखिलेश तिवारी उ0नि0	औपचारिक साक्षी (विवेचक)
8	पी0डब्लू0–8	विजय शंकर	तथ्य के साक्षी

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में साबित कराया गया:–

क्रम संख्या	दस्तावेजों का विवरण	प्रदर्श संख्या	साबित कर्ता
1	तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1 बिट्टो
2	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1 बिट्टो
3	शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–5 डा0 राजीव गुप्ता
4	चिक एफ.आई.आर.	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–6 हे0 कां0 मोहर्रिर रेयाज अली
5	जी0डी0 कायमी	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–6 हे0 कां0 मोहर्रिर रेयाज अली
6	गिरफ्तारी सूचना	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
7	नक्शानजरी	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
8	चिट्ठी सी.एम.ओ.	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
9	चिट्ठी आर.आई.	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
10	फोटो लाश	प्रदर्श क–10	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
11	नमूना सील	प्रदर्श क–11	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
12	चालान लाश	प्रदर्श क–12	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी
13	आरोप पत्र	प्रदर्श क–13	पी0डब्लू0–7 अखिलेश तिवारी

8– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किये गये। धारा 313 द0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। पी0डब्लू0–1 के बयान के बारे में कहा गया कि गलत प्रदर्श डाला गया। पी0डब्लू0–2 के बयान के बारे मे कहा गलत है। पी0डब्लू0–3,4,5 के बयान के बारे में कहा है कि कुछ नही कहना है। पी0डब्लू0–6 के बयान के बारे में कहा है कि गलत प्रदर्श डाला गया है। पी0डब्लू0–7 के बयान के बारे में कहा है कि गलत विवेचना करके पुष्टि की गई है। पी0डब्लू0–8 के बयान के बारे में कहा है कि गलत है तथा मुकदमा रंजिशन

तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए अन्य कथन में कहा है कि गांव की पार्टी बन्दी के कारण मुकदमा चला है मै निर्दोष हूँ।

9— मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

10— विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से तर्क किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियोजक कथानक स्थापित है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है तथा अभियुक्त को दण्डित किये जाने की याचना की गई।

11— जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। ऐसी स्थिति में अभियेाजन कथानक झूठा है। अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषमुक्त होने योग्य है।

12— अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के आलोक में निर्णय हेतु निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते हैः—

1— क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक—14.02.2022 समय करीब 8.00 बजे शाम स्थान खेत वादिनी बहद ग्राम बाबाखेड़ा मजरा भैसोरा जिला उन्नाव के अन्तर्गत वादिनी के पति राममूर्ति को मार पीट कर चोटें पहुंचाई, जिसके फलस्वरूप राममूर्ति की मृत्यु हो गयी। वादिनी के पति राममूर्ति की मृत्यु कारित करके हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया?

13— उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के समर्थन में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी0डब्लू0—1 वादिनी बिट्टो** जिन्होंने तहरीर प्रदर्श क—1 को स्थापित किया है उन्होने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, घटना आज से लगभग 1 साल 15 दिन रात 10 बजे की है। मेरे खेत में मटर व गोभी होती है। खेत गांव के किनारे है। मटर को रखने मेरे पति जाते थे। क्योंकि मटर का आवारा जानवर बहुत नुकसान करते थे। मेरे पति शराब पीते थे। लड़का मेरा कभी—2 शराब पी लेता था। जब शराब मेरा लड़का व पति पी लेते तो कभी कभार लड़ाई झगड़ा होता था और दोनों में मार पीट हो जाती थी। जब मेरे पति ने शराब पीकर मुझें मारा था तब मेरे भी चोटे आई थी। मेरे पति व लड़के से घरेलू बातों को लेकर कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मुझें नही मालूम की घटना वाले दिन मेरा लड़का मटर वाले खेत में गया था या नही। मैनें सुना था कि मेरे लड़के सुन्दर लाल ने मटर वाले खेत में जाकर घरेलू बातो को लेकर मारा पीटा था। जानकारी

होने पर मै अपने बिटिया राम प्यारी व दमाद पिन्टू के साथ मौके पर पहुंची थी। मै अपनी लड़की और दामाद के साथ चकरोट पर पहुंची थी तो मेरे पति चकरोट पर खड़ी डाला में मृत पड़े थे वही पर डाला के पास मेरा लड़का खड़ा था। जब मेरे पति की मृत्यु हो गयी थी तो उन्हें लेकर मै थाने चली गयी और मैनें थाने पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखा दिया। पत्रावली में संलग्न कागज सं0–4क/3 को देखकर साक्षी ने कहा ये प्रार्थना पत्र पर लगा अगूठा मेरा है। यही प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जो मुझको जानकारी हुयी थी वो बाते मैनें दरोगा जी को बता दी थी। गांव में इस बात की चर्चा थी कि सुन्दर लाल ने ही अपने पिता को मार दिया जिससे को मर गये। पत्रावली में सलग्न पंचायतनामा कागज सं0–6क/4 लगायत 6क/5 पर लगे निशानी अगूठे की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्यवाही करने के बाद पोस्ट मार्टम के लिए लाश को सील कर उन्नाव भेजा दिया था। पोस्ट मार्टम के बाद लाश का हम लोगो ने अन्तिम संस्कार किया था।

14– साक्षी ने जिरह में कथन किया कि जिस दिन मेरे पति की मौत हुयी थी उस दिन अपनी लड़की राम प्यारी की ससुराल ग्राम बेगमखेड़ा में थी। पति के मरने की सूचना जेठ विजयी की बहू ने मुझें फोन करके दी थी सूचना पाकर मै लड़की राम प्यारी दामाद पिन्टू के साथ आयी थी। मैनें अपने पति को मारते पीटते किसी के द्वारा नही देखा। मैनें दरोगा जी को बता दिया था जब मेरे पति मरे थे तब मै अपनी लड़की राम प्यारी की ससुराल बेगमखेड़ा में थी। मै पढ़ लिख नही पाती हूॅ जो कागज मैनें थाने पर दिया था वह गांव वालों ने लिखा था और मेरा अगूठा लगवा लिया था, कागज में क्या लिखा है मुझें पढ़कर नही सुनाया था और न बताया था कि इसमें क्या लिखा है। केवल मेरा अगूठा लगवा लिया था। मेरे पति शराब के नशे में गांव के तमाम लोगो से आये दिन झगड़ा करते रहते थे।

15– अभियोजन की ओर से **लाला उर्फ लालराम** को बतौर **पी.डब्लू–2** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, मै रिक्शा चलाता हूॅ। घटना दिनांक–14.02.2022 रात आठ बजे की है। घटना वाले दिन मै अपने घर पर था। रिक्शा चला के शाम सात बजे घर आ गया था। शोरगुल की आवाज सुनकर मै अपने घर आया मेरे घर के बाहर बगल में परचुन की दुकान है। वहॉ पहुंचा तो शोरगुल की आवाज तेज–2 आ रही थी शोरगुल की आवाज राममूर्ति व सुन्दर लाल की थी राममूर्ति व सुन्दर लाल की आवाज को मैनें और दुकान पर मौजूद लोगो ने सुना था राममूर्ति और सुन्दर लाल की आवाज

राममूर्ति के खेत से आ रही थी। मेरे साथ पप्पू, पिन्टू, सन्तोष राममूर्ति के खेत पर गए थे। वहॉ खेत पर जाकर मैनें देखा की राममूर्ति खेत में मरणासन में पड़े थे राममूर्ति के खेत की शोर से राममूर्ति व सुन्दरलाल के बीच गाली की आवाज आ रही थी। सुन्दर लाल मार पीट कर भाग गया था। सुन्दर लाल और राममूर्ति दोनों शराब पीते थ्है और शराब पी कर दोनों लड़ाई करते है यह बात पूरे गांव को मालूम है। सुन्दर लाल से मैनें कहा कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा सुन्दर लाल ने कहा तुमसे क्या लेना देना मेरे धर के मामले में दखल मत दो और चला गया। यह बात जब मै राममूर्ति के खेत से घटना वाली रात जब लौट रहा था तो सुन्दर लाल वापस मारते समय मुझें मिला था तब उससे मेरी बात चीत हुयी थी। गांव में इस बात की चर्चा है कि सुन्दर लाल ने ही अपने बाप राममूर्ति को मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी यह बात पूरे गांव को मालूम है। दरोगा जी ने मुझसे पूछतांछ की थी।

16– साक्षी ने जिरह में कथन किया कि, मेरा नाम लाला उर्फ लाला राम है मै रिक्शा चलाता हूॅ। मै रिक्शा सुबह पॉच बजे निकल जाता हूॅ और रात आठ बजे तक या कभी–2 नौ दस बजे तक वापस घर आ जाता हूॅ। राममूर्ति को मारते हुए मैनें नही देखा था कि किसने मारा था। सुन्दर लाल को मैनें घटना स्थल पर नही देखा था। घटना जब हुयी यह समय करीब नौ साड़े नौ बजे की है ठण्डी का मौसम था कोहरा पड़ रहा था। घटना स्थल पर मै गया था। मेरे साथ घटना स्थल पर कई लोग गए थे राममूर्ति मरणासन हालत में खेत में पड़े थे। मै वहॉ से चला गया था। राममूर्ति को कहा ले गए थे मुझें नही पता। मेरे घर से खेत की दूरी करीब आधा किलोमीटर की है जब मै दुकान पर मसाला लेने गया घटना वाली रात को मुझे खेतो से शोरगुल की आवाजे आती हुयी सुनी। यह कहना गलत है कि मैनें आवाज ना सुनी हो झूठा बयान दिया हो। यह भी कहना गलत है कि घ टना सथल पर न गया हो और मुझें घटना की जानकारी ना हो पुलिस ने मेरा फर्जी बयान लिख दिया हो।

17– अभियोजन की ओर से **दिनेश कुमार** को बतौर **पी0 डब्लू0–3** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, घटना दिनांक–14.02.22 समय रात्रि 8 बजे कि है। 14.02.22 को समय 8 बजे रात्रि मै पड़ोस के गांव रहीम नगर राधेश्याम गुप्ता के घर दावत में था। पड़ोस में रहने वाले पप्पू चाचा ने फोन करके बताया कि आज सुन्दर लाल व उसका पिता राम मूर्ति शराब पीकर आपस में मार पीट कर रहे है। हमने कहा ये इनका रोज का

काम है, किन्तु उन्होने कहा कि आज मार पीट हो रही है तो हमने कहा मौके पर जाकर उनको छोडा दो किन्तु उन्होने कहा हम लोग गये थे किन्तु हमें भी गाली देकर भगा दिया। 10 मिनट बाद फिर फोन आया कि मारपीट में राममूर्ति को बहुत चोटे आयी है और शायद उनकी मृत्यु हो गयी है। हमने दावत से वापस आकर देखा मौके पर राममूर्ति की मृत्यु हो चुकी है। थाना सोहरामऊ को हमने फोन करके और 112 पर भी सूचना दी। तुरन्त मौके पर पुलिस भी आ गयी तो सुन्दर लाल को खोजने पर वह अपने घर पर छप्पर के नीचे आराम से लेटा था। हमने बोला कि अपने बाप को क्यू मार दिया सुन्दर लाल ने गाली देते हुये मुझसे कहा कि जब हमारी मम्मी को हमारा बाप मारता तब कोई नही कहता था आज हमने मारा तो सब हमसे कह रहे है और पुलिस ने सुन्दर लाल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी तो मैनें पुलिस को बताया था कि राममूर्ति व सुन्दर लाल का लड़ाई झगड़ा करना रोज का काम है। पुलिस ने मृतक राममूर्ति का पंचायतनामा कराया था। पंचायतनामें पर मेरे भी हस्ताक्षर है। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा प्रदर्श क–2 पर बने अपने हस्ताक्षर की मै पुष्टि करता हूॅ।

18– इस साक्षी ने जिरह मे कथन किया कि मै लेखपाल हूॅ। घटना के समय मै पड़ोस के गांव में राधेश्याम गुप्ता के घर दावत में था। घटना के समय घ ाटना स्थल पर नही था न ही मैनें राममूर्ति को मारते हुये देखा है। मरते हुए भी नही देखा है। जिस समय की घटना है उस समय मटर व गोभी की खेती होती है। राममूर्ति की खेत में मटर की खेती होती थी। खेत में राममूर्ति अपने मटर के खेत की रखवाली करते है, हो सकता है वहॉ पर काफी जानवर खेतो में चरने आते है। मुझें फोन पर जानकारी दी गयी थी। तब मैनें 112 पर फोन किया था। राममूर्ति की लाश खेत में पड़ी हुयी थी। सुन्दर लाल दारू पीता है या नही जानकारी नही है। राममूर्ति की जहॉ लाश पड़ी थी वहॉ मै गया था। काफी लोग गये थे। घटना के समय सुन्दर लाल अपने घर पर सो रहा था। प्रार्थना पत्र सुन्दर लाल की माता जी ने दिया था। पुलिस कम से कम 20 मिनट बाद आयी थी। पुलिस लाश लेकर चली गयी थी। जब पुलिस आयी तो धीरे–धीरे लोग अपने घर चले गये। विवेचना में पुलिस ने मेरे बयान नही लिये थे। मुझें कभी थाने नही बुलाया गया। पंचनामा में सिर्फ हस्ताक्षर हुये थे। सुन्दर लाल को वर्तमान में कोई लड़ाई झगड़ा करते नही देखा। इस समय मैनें उसे कभी नशे में नही देखा। यह कहना गलत है कि मृतक राममूर्ति अपने खेत पर मटर की खेती की रखवाली कर रहे थे खेत में जानवर आने पर उसको भगाने लगे तो किसी अज्ञात जानवर ने पटक दिया जिससे उनकी मौके

पर मृत्यु हो गयी। यह भी कहना गलत है कि आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

19— अभियोजन की ओर से **ओमप्रकाश** को बतौर **पी0 डब्लू0—4** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि, दिनांक—14.09. 2022 को शाम 8.00 बजे लगभग कटी बगिया बाजार में मै सब्जी बेचने गया था। घ ाटना के समय मै बाजार में था। मै दिन में 11 बजे बाजार गोभी बेचने ले गया था और घटना वाली रात को करीब 9 बजे वापस घर आया था। जब मै घर पहुंचा तब रोने पीटने, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग मौके पर नही थे सुन्दर लाल की मॉ व बहन रो पीट रही थी। मैनें घटना वाले दिन सुन्दर लाल को शराब के नशे में राममूर्ति उर्फ दूबर को मारते पीटते हुये नही देखा क्योंकि मै मौके पर नही था और मै घटना के समय बाजार में था। इस स्तर पर गवाह को अभियोजन द्वारा न्यायालय ी अनुमति से पक्षद्रोही घोषित किया गया।

20— जिरह मे इस साक्षी ने कथन किया कि मेरा मकान और सुन्दर लाल का मकान आमने सामने है। राममूर्ति एवं सुन्दर दोनों शराब पीते थे। राममूर्ति व सुन्दर लाल दारू के नशे में अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे। यह तथ्य मुझें मालूम है कि सुन्दर लाल व राममूर्ति बाप—बेटे है। यह बात मुझें मालूम है कि सुन्दर लाल और सुन्दर लाल की अम्मा बिट्टो में सुलह—समझौता हो गया है। आज मै और सुन्दर लाल घर से कचहरी साथ में ही आया था। मै घर से चलकर, सुन्दर लाल के सथ आकर कचहरी में सुन्दर लाल के वकील के बस्ते पर गया। सुन्दर लाल ने मेरा किराया दिया और वापस जाने का किराया भी सुन्दर लाल देगें। न्यायालय में उपस्थित होकर सही बात नही बतायी है। यह मुझें ज्ञात नही है कि मृतक राममूर्ति अपनी पत्नी को दारू के नशें में मारता—पीटता था इसी वजह से सुन्दर लाल ने मार पीट कर राममूर्ति कोमार डाला।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने जिरह की गयी तो उक्त साक्षी ने कहा है कि घटना के समय मै बाजार में था। मैनें राममूर्ति को मारते हुए नही देखा। सुन्दर लाल को मैनें दारू पीते हुये नही देखा। राममूर्ति अपने खेत में मटर की फसल की रक्षा के लिये खेत पर गये थे। क्योंकि वहॉ पर आवारा पशु घूमा करते है।

21— अभियोजन की ओर से **डा0 राजीव गुप्ता** को बतौर **पी.डब्लू—5** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि

दिनांक–15.02.2022 को मेरी डियूटी पोसट मार्टम हाउस उन्नाव में थी। उसी दिन मृतक राममूर्ति का शव सील मुहर सहित सी.पी. रोहितास थाना सोहरामऊ उन्नाव के द्वारा समय 1.00 पी0एम0 को लाया गया था। शव का पोस्ट मार्टम प्रारम्भ करने का समय 1.50 पी0एम0 दिनांक–15.2.22 तथा समाप्त होने का समय 2.40 पी0एम0 किया गया। शव की शिनाख्त अमरेश पुत्र विजय शंकर ने की।

वाह्य परीक्षण–मृतक की लम्बाई 157 सेमी0 थी। मृतक का शरीर मध्यम औसत कद काठी का था। मृतक के शरीर में मृत पश्चात थकड़न पी.एम स्टेनिंग मौजूद थी। मृतक के दोनों नाक से रक्त के साथ झाक मौजूद थी। मृतक के शरीर में जगह–जगह पर सूखी पत्तियॉ चिपकी हुयी थी। मृतक की दोनों ऑखे व मुंह बन्द था।

वाह्य चोटे–1 मृतक के सर में कान के ऊपर बाये तरफ सूजन मौजूद थी। जिसका साइज 10 x 5 सेमी0 है जिसके नीचे की सर की हड्डी टूटी हुयी थी।

2– बाये हाथ के टर्जनी में 1 x 1 सेमी0 के खरोज का निशान मौजूद था।

3– दाहिने पैर में खरोच का निशान था जिसका साइज 2 x 1 सेमी0 जो कि घुटने से 5 सेमी0 नीचे था।

आन्तरिक परीक्षण– सर के बाये तरफ रक्त का थक्का मौजूद था एवं बायी पैराइटल एवं आक्सीपीटल हड्डी टूटी हुयी थी। मस्तिष्क की झिल्ली एवं मस्तिष्क फटा हुआ था। मस्तिष्क में लगभग 200 एम.एल. ब्लड मौजूद था। फेफडे व फेफड़े की झिल्लियॉ कन्जस्टेड थी। हृदय का दाहिना चेम्बर भरा हुआ था। बाया खाली था। अमाशय में लगभग 100 एम0एल0 पेस्टी फूड मौजूद था। छोटी ऑत में गैस एवं बड़ी आंत में मल पदार्थ मौजूद था। लीवर, स्पीलीन (तिल्ली) दोनों गुर्दे कन्जस्टेड थे।

मेरी राय में मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय एक दिन के अन्दर का था। मृत्यु का कारण कोमा और मृत्यु की वजह मृत्यु पूर्व की चोटे थी। सभी चोटे एन्टीमार्टम थी। चोटे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृतक के शरीर पर पाये गये कपड़े आठ अदद, अन्वेषण प्रपत्र (11 वर्क) शव विच्छेदन आख्या को अलग–2 सर्व सील मुहर नमूना मोहर कर आरक्षी रोहितास थाना बांगरमऊ की सुपुर्दगी में दिया गया था। शव विच्छेदन आख्या सं0–151/22 पत्रावली में संलग्न कागज सं0–6क/1 लगायत 6क/3 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मै पुष्टि

करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। मृतक राममूर्ति पुत्र स्व0 सुखलाल निवासी बाबाखेड़ा मजरा भैसोरा थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव उम्र 52 वर्ष का था।

22– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मैनें राममूर्ति का पोस्ट मार्टम दिनांक–15.02.22 को किया था। कां0 सी.पी. रोहितास के द्वारा लाया गया था। मृतक के शरीर पर सूखी पत्तियॉ चिपकी हुयी थी। इस प्रकार की चोटे जानवर के पटकने से आ सकती है। राममूर्ति के एक दिन के अन्दर की चोटे थी।

23– अभियोजन की ओर से **हे0 कां0 मोहर्रिर रेयाज अली** को बतौर **पी. डब्लू–6** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मै 14.02.2022 को मै थाना सोहरामऊ में हे0 मो0 के पद पर तैनात था। उसी दिन वादिनी श्रीमती बिट्टो के द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत होकर प्रस्तुत हुआ। उक्त के आधार पर ....पर 23/22, धारा–304 आई.पी.सी. अंकित किया। चिक एफ.आई.आर. पत्रावली पर 4क/1 शामिल है जिस पर थाना प्रभारी के दस्तखत है उक्त पर प्रदर्श क–4 डाला गया तथा उक्त का खुलासा जी0डी0 नं0–56 दिनांक–14.2.25 समय 22 बजे किया गया। उक्त पर प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

24– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि वादिनी 14.02.22 को प्रार्थना पत्र लेकर आयी थी। रात 10 बजे आयी थी। प्रार्थना पत्र हस्तलिखित था। साथ में और लोग भी थे जो पत्र आया था उसमें नि0 अंगूठा था। सीधे प्रार्थना पत्र लेकर आयी थी जब आयी थी मुझें प्रार्थना पत्र दिया था। मैनें मुकदमा लिख दिया था। मैनें 22 बजे मुकदमा लिखा था। जी0डी0 भी 22 बजे किता की थी। एफ.आई.आर. की प्रति मैनें उसी दिन दे दी थी जब देते है तो रिसीव कराते है। दरोगा जी ने बयान मेरा किस दिनांक को लिखा था याद नही है।

25– अभियोजन की ओर से **अखिलेश तिवारी उ0नि0** को बतौर **पी. डब्लू–7** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0–23/22 धारा–304 भा0दं0सं0 बनाम सुन्दर लाल की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की गयी उस समय मै सोहरामऊ थाने का थानाध्यक्ष था। मुकदमें की विवेचना में मेरे द्वारा 14.2.22 को सी.डी.–1 किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक एच.सी. मोहर्रिर रियाज अली बयान वादिनी श्रीमती बिट्टो का लेकर सी.डी. पर्चे में अंकित किया। दिनांक–15.02.22 को सी.डी.–2 किता किया जिसमें अभियुक्त सुन्दर लाल की गिरफ्तारी, सुन्दर लाल का बयान एवं रिमाण्ड कार्यवाही का उल्लेख किया गया है।

गिरफ्तारी प्रपत्र में मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मै पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। दिनांक–28.02.22 सी.डी.–3 में अभियुक्त सुन्दर लाल की रिमाण्ड कार्यवाही का उल्लेख किया गया। दिनांक–01.03.22 सी.डी.–4 में वादिनी मुकदमा की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण किया नक्शानजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया जो संलग्न पत्रावली 7क/1 है जिसकी मै पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। तत्पश्चात बयान गवाह लाला व दिनेश का बयान लेकर सी0डी0 पर्चे में अंकित किया। दिनांक–23.03.22 सी.डी.–5 में मृतक राममूर्ति की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व पंचायतनामा का अवलोकन, पंचाग गवाह पिन्टू, श्रीमती राम प्यारी, रामशंकर, नारेन्द्र कुमार, नरेश कुमार, डा0 राजीव गुप्ता, पी.एम. कराने वाला गवाह का रोहितास का बयान लेकर सी.डी. पर्चे में अंकित किया। मृतक राममूर्ति पुत्र स्व0 सुखलाल निवासी बाबाखेड़ा थाना सोहरामऊ उन्नाव के पंचायतनामें की कार्यवाही मेरे द्वारा 15.2.22 को बोल–बोल कर मेरे साथ मौजूद रहे उ0नि0 उबैस अली से बोल–बोल कर मेरे द्वारा करवायी गयी थी। पंचायतनामा प्रदर्श क–2 एवं इससे सम्बन्धित प्रपत्र सी.एम.ओ. चिट्ठी, आर.आई. चिट्ठी, फोटो लाश, नमूना सील, पुलिस फार्म–13 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मै पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 डाला गया। दिनांक–24.03.22 सी.डी.–7 में अभियुक्त की रिमाण्ड कार्यवाही का उल्लेख, 28.03.22 को सी.डी.–8 में चश्मदीद गवाह विजय शंकर एवं ओम प्रकाश का बयान लेकर सी.डी. पर्चे में अंकित किया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुन्दर लाल पुत्र स्व0 मूर्ति निवासी बाबाखेड़ा थाना सोहरामऊ उन्नाव के विरूद्ध धारा–304 आई0पी0सी0 का अपराध साबित होने पर आरोप पत्र सं0–49/22 दिनांक 28.03.22 प्रेषित किया गया। आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न कागज सं0–3क/1 लगायत 3क/2 पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मै पुष्टि करता हूँ जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

26– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि अगस्त के महीने से 2021 से तैनात था। मै उस समय थाना प्रभारी था। वादिनी मेरे सामने प्रार्थना पत्र लेकर आयी थी। वादिनी के साथ उनकी बेटी आयी थी। वादिनी दिनांक–14.02.22 को लगभग 10 बजे के आस पास आयी थी। जब वो प्रार्थना पत्र लेकर थाने आयी थी तब मै घटना स्थल गया था। घटना स्थल पर काफी भीड़ थी व कई अन्य लोग थे। वादी मुकदमा के दामाद भी थे। मृतक का पंचायतनामा भरने के बाद मोर्चरी हाउस भेजा गया था। पंचायतनामा घटना स्थल पर भरा था। जब पंचायतनामा भरा

गया था तब मृतक के शरीर में मिट्टी लगी थी घास–फूस नही लगी थी। घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचा था समय याद नही रात काफी हो गयी थी। घटना स्थल पर कितने बजे पहुंचा था समय याद नही रात काफी हो गयी थी। घटना स्थल से थाने की दूरी लगभग 12 किमी0 होगी। फिर कहा 7 किमी0 होगा। घटना स्थल पर सरकारी गाड़ी से पहुंचने में 30 मिनट लगा था। घटना स्थल पर पंचायतनामा व पूरी प्रक्रिया पूरी करने में लगभग डेढ़ से दो घण्टे लग गये थे। घटना स्थल से मै 2 बजे निकला था। मृतक राममूर्ति को घटना स्थल से कितने बजे रोहिताष मोर्चरी हाउस ले गया था। मुझें नही मालूम। मुझें नही मालूम की मृतक राममूर्ति कितने बजे मोर्चरी हाउस पहुंचा मोर्चरी हाउस मै नही गया था। मृतक का पोस्टमार्टन 15 तारीख को दिन में लगभग 2 बजे हुआ था। जब मै पहुंचा तब मेरी मुलाकात 112 नं0 से नही हुयी। 112 नं0 पुलिस कितने बजे पहुंची यह भी याद नही। 112 नं0 पुलिस ने मुझें जानकारी दी थी या नही मुझें याद नही। 112 नं0 पुलिस मुझसे पहले पहुंची थी उसने घटना पर कोई कार्यवाही नही की थी। मुल्जिम को अगले दिन सुबह गिरफ्तार किया था। मुल्जिम को जब मैनें गिरफ्तार किया था तब उसके पास कोई बरामदगी नही थी। मार पीट वाली कोई चीज उसके पास से नही मिली थी न किसी अवैध वस्तु से मारा पीटा था। इसलिए मैनें कोई चीज बरामद नही थी पूरी विवेचना मेरे द्वारा की गयी थी। मुल्जिम को मैनें आशाखेड़ा तिराहे से गिरफ्तार किया था। मुल्जिम को 15.02.2022 को सुबह 6.30 बजे गिरफ्तार किया था। मुखबिर द्वारा मुझें बताया गया था। यह कहना गलत है कि मैनें मुल्जिम को घर से गिरफ्तार किया हो। गवाहों के बयान किन दिनांक को लिये मुझें याद नही है। बयान उनके गांव में जाकर लिया था। डाक्टर का बयान किस दिनांक को लिया था याद नही है। यह कहना गलत है कि मैनें सभी गवाहों के बयान थाने में अपने मन से लिख दिये थे उसके बाद मनमाने तरीके से चार्जसीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया था।

27– अभियोजन की ओर से **विजय शंकर** को बतौर **पी.डब्लू–8** परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, राममूर्ति मेरे सगे भाई थे। राममूर्ति को गांव में दूबर के नाम से भी जाना जाता था। सुन्दर लाल मेरा सगा भतीजा है। सुन्दर लाल मेरे सामने दारू नही पीता था। राममूर्ति के विषय में मै नही जानता की वे दारू पीते थे या नही। राममूर्ति व सुन्दर लाल आपस में झगड़ा नही करते थे। दिनांक–14.02.22 को मेरे भाई स्व0 राममूर्ति आवारा जानवरों से फसल की रखवाली करने खेत में थे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। मैनें

सुन्दर लाल व राममूर्ति को लड़ाई झगड़ा करते नही देखा। जब मै शोरगुल सुनकर खेत पर पहुंचा तो मेरा भाई मरा पड़ा था। पुलिस ने मुझसे पूछतांछ नही की। इस स्तर पर अभियोजन द्वारा साक्षी को न्यायालय की अनुमति से पक्षद्रोही घोषित किया गया।

28— जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि स्व0 राममूर्ति मेरे सगे छोटे भाई थे। स्व0 राममूर्ति का लड़का सुन्दर लाल है। सुन्दर लाल का मै सगा चाचा हूॅ। राममूर्ति से मेरी बोलचाल थी। राममूर्ति के मरने का मुझें गम है। राममूर्ति कैसे मरे मुझें यह बात की जानकारी आज तक नही है। पुलिस मेरे घर आती जाती रही है और न पुलिस से सम्बन्ध घटना से पहले रहा दरोगा जी मुझें घटना के पहले कभी नही मिले और न मुझसे कभी पूछतांछ किया। दरोगा जी ने न मेरा कभी आधार कार्ड लिया यदि दरोगा जी ने मेरा आधार कार्ड पत्रावली में लगाकर भेजा हो तो मै यह नही बता सकता कि दरोगा जी के पास मेरा आधार कार्ड कैसे पहुंचा। यह कहना गलत है कि सुन्दर लाल व राममूर्ति दारू पीकर आपस में लड़ाई झगड़ा किये हो, राममूर्ति के मार पीट में सुन्दर लाल के द्वारा पहुंचायी गयी चोटो के कारण राममूर्ति की मृत्यु हुयी हो। आज मै गवाही देने हेतु घर से 9 बजे चला था, घर से मै गवाही देने अकेले आया था। सुन्दर लाल का और कोई भाई नही है। सुन्दर लाल के तीन बहने है जिनकी शादी हो चुकी है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मुकदमें में वादी मुकदमा बिट्टो व अभियुक्त सुन्दर लाल के मध्य सुलह समझौता हो गया है इसलिए मै आज सही बात नही बता रहा हूॅ। यह बात सही है कि मै भी यही चाहता हूॅ कि सुन्दर लाल बिट्टो को अकेला लड़का है इस मुकदमें से बरी हो जाय। यह कहना गलत है कि मै मुकदमें में सुलह हो जाने के कारण झूठा बयान दिया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त साक्षी से जिरह की गयी तो उक्त साक्षी जिरह में कथन किया है कि मेरे भाई राममूर्ति मटर की फसल को आवारा जानवरों से बचाने गये थे। वही पर किसी जानवर ने गाय या सांड ने पटक दिया जिससे उनकी घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी। सुन्दर लाल घटना के समय अपने घर पर था। मै राममूर्ति का सगा भाई हूॅ। राममूर्ति व सुन्दर लाल कभी लड़ाई झगड़ा नही करते थे। राममूर्ति व सुन्दर लाल दारू शराब नही पीते थे।

29— पत्रावली में आरोप के अनुक्रम में विरचित अवधार्य बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नवत् हैः—

साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष

30– आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 के सम्बन्ध में विधिक उपबन्ध इस प्रकार हैः–

धारा–304 भा0दं0सं0 यह उपबन्धित करती है कि–जो कोई ऐसा आपराधिक मानव वध करेगा, जो हत्या की कोटि में नही आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति, जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य है, कारित करने के आशय से किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से, या दोनो में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

31– उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में उपरोक्त साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि **पी0डब्लू0–1 बिट्टो**, उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घ ाटना आज से लगभग 1 साल 15 दिन रात 10 बजे की है। मेरे खेत में मटर व गोभी होती है। खेत गांव के किनारे है। मटर को रखने मेरे पति जाते थे। क्योंकि मटर को आवारा जानवर बहुत नुकसान करते थे। **मेरे पति शराब पीते थे। लड़का मेरा कभी–2 शराब पी लेता था। जब शराब मेरा लड़का व पति पी लेते तो कभी कभार लड़ाई झगड़ा होता था और दोनों में मार पीट हो जाती थी।** जब मेरे पति ने शराब पीकर मुझें मारा था तब मेरे भी चोटे आई थी। मेरे पति व लड़के से घरेलू बातों को लेकर कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता था। मुझें नही मालूम की घटना वाले दिन मेरा लड़का मटर वाले खेत में गया था या नही। मैनें सुना था कि **मेरे लड़के सुन्दर लाल ने मटर वाले खेत में जाकर घरेलू बातो को लेकर मारा पीटा था।** जानकारी होने पर मै अपने बिटिया राम प्यारी व दमाद पिन्टू के साथ मौके पर पहुंची थी। मै अपनी लड़की और दामाद के साथ चकरोट पर पहुंची थी तो मेरे पति चकरोट पर खड़ी डाला में मृत पड़े थे वही पर डाला के पास मेरा लड़का खड़ा था। जब मेरे पति की मृत्यु हो गयी थी तो उन्हें लेकर मै थाने चली गयी और मैनें थाने पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखा दिया। पत्रावली में संलग्न कागज सं0–4क/3 को देखकर साक्षी ने कहा ये **प्रार्थना पत्र पर लगा अगूठा मेरा है। यही प्रार्थना पत्र थाने पर दिया था जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। जो मुझको जानकारी हुयी थी वो बाते मैनें दरोगा जी को बता दी थी। गांव में इस बात की चर्चा थी कि सुन्दर लाल ने ही अपने पिता को मार दिया जिससे वो मर गये। पत्रावली में सलग्न पंचायतनामा कागज सं0–6क/4 लगायत 6क/5 पर लगे निशानी अगूठे की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।**

32– जिरह में कहा कि, जिस दिन मेरे पति की मौत हुयी थी उस दिन अपनी लड़की राम प्यारी की ससुराल ग्राम बेगमखेड़ा में थी। **पति के मरने की सूचना जेठ विजयी की बहू ने मुझें फोन करके दी थी** सूचना पाकर मै लड़की राम प्यारी दामाद पिन्टू के साथ आयी थी। मैनें अपने पति को मारते पीटते किसी के द्वारा नही देखा। मैनें दरोगा जी को बता दिया था जब मेरे पति मरे थे तब मै अपनी लड़की राम प्यारी की ससुराल बेगमखेड़ा में थी। मै पढ़ लिख नही पाती हूँ जो कागज मैनें थाने पर दिया था वह गांव वालों ने लिखा था और मेरा अगूठा लगवा लिया था, कागज में क्या लिखा है मुझें पढ़कर नही सुनाया था और न बताया था कि इसमें क्या लिखा है। केवल मेरा अगूठा लगवा लिया था। मेरे पति शराब के नशे में गांव के तमाम लोगो से आये दिन झगड़ा करते रहते थे। उक्त साक्षी मृतक की पत्नी है उसने अपने बयान मे अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया तथा तहरीर प्रदर्श क–1 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2 को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है।

33– पी0डब्लू0–2 **लाला उर्फ लालाराम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि मै रिक्शा चलाता हूँ। **घटना दिनांक–14.02.2022 रात आठ बजे की है। घटना वाले दिन मै अपने घर पर था। रिक्शा चला के शाम सात बजे घर आ गया था।** शोरगुल की आवाज सुनकर मै अपने घर आया मेरे घर के बाहर बगल में परचुन की दुकान है। वहॉ पहुंचा तो शोरगुल की आवाज तेज–2 आ रही थी **शोरगुल की आवाज राममूर्ति व सुन्दर लाल की थी राममूर्ति व सुन्दर लाल की आवाज को मैनें और दुकान पर मौजूद लोगो ने सुना था राममूर्ति और सुन्दर लाल की आवाज राममूर्ति के खेत से आ रही थी। मेरे साथ पप्पू, पिन्टू, सन्तोष राममूर्ति के खेत पर गए थे। वहॉ खेत पर जाकर मैनें देखा की राममूर्ति खेत में मरणासन में पड़े थे राममूर्ति के खेत की शोर से राममूर्ति व सुन्दरलाल के बीच गाली की आवाज आ रही थी। सुन्दर लाल मार पीट कर भाग गया था। सुन्दर लाल और राममूर्ति दोनों शराब पीते है और शराब पी कर दोनों लड़ाई करते है यह बात पूरे गांव को मालूम है। सुन्दर लाल से मैनें कहा कि तुमने अपने बाप को क्यों मारा सुन्दर लाल ने कहा तुमसे क्या लेना देना मेरे घर के मामले में दखल मत दो और चला गया।** यह बात जब मै राममूर्ति के खेत से घटना वाली रात जब लौट रहा था तो सुन्दर लाल वापस मारते समय मुझें मिला था तब उससे मेरी बात चीत हुयी थी। गांव में इस बात की चर्चा है कि **सुन्दर लाल ने ही अपने बाप राममूर्ति को मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गयी** यह बात पूरे गांव को मालूम है। दरोगा जी ने मुझसे पूछतांछ की

थी।

34– जिरह में कहा कि, मेरा नाम लाला उर्फ लाला राम है मै रिक्शा चलाता हूॅ। मै रिक्शा सुबह पॉच बजे निकल जाता हूॅ और रात आठ बजे तक या कभी–2 नौ दस बजे तक वापस घर आ जाता हूॅ। राममूर्ति को मारते हुए मैनें नही देखा था कि किसने मारा था। सुन्दर लाल को मैनें घटना स्थल पर नही देखा था। घटना जब हुयी यह समय करीब नौ साड़े नौ बजे की है ठण्डी का मौसम था कोहरा पड़ रहा था। घटना स्थल पर मै गया था। मेरे साथ घटना स्थल पर कई लोग गए थे **राममूर्ति मरणासन हालत में खेत में पड़े थे।** मै वहॉ से चला गया था। राममूर्ति को कहा ले गए थे मुझें नही पता। मेरे घर से खेत की दूरी करीब आधा किलोमीटर की है जब मै दुकान पर मसाला लेने गया घटना वाली रात को मुझे खेतो से शोरगुल की आवाजे आती हुयी सुनी।

35– पी0डब्लू0–3 दिनेश कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि **घटना दिनांक–14.02.22 समय रात्रि 8 बजे कि है। 14.02.22 को समय 8 बजे रात्रि मै पड़ोस के गांव रहीम नगर राधेश्याम गुप्ता के घर दावत में था। पड़ोस में रहने वाले पप्पू चाचा ने फोन करके बताया कि आज सुन्दर लाल व उसका पिता राम मूर्ति शराब पीकर आपस में मार पीट कर रहे है।** हमने कहा ये इनका रोज का काम है, किन्तु उन्होने कहा कि आज मार पीट हो रही है तो हमने कहा मौके पर जाकर उनको छोडा दो किन्तु उन्होने कहा हम लोग गये थे किन्तु हमें भी गाली देकर भगा दिया। 10 मिनट बाद फिर फोन आया कि **मारपीट में राममूर्ति को बहुत चोटे आयी है और शायद उनकी मृत्यु हो गयी है।** हमने दावत से वापस आकर देखा मौके पर राममूर्ति की मृत्यु हो चुकी है। **थाना सोहरामऊ को हमने फोन करके और 112 पर भी सूचना दी। तुरन्त मौके पर पुलिस भी आ गयी तो सुन्दर लाल को खोजने पर वह अपने घर पर छप्पर के नीचे आराम से लेटा था। हमने बोला कि अपने बाप को क्यू मार दिया सुन्दर लाल ने गाली देते हुये मुझसे कहा कि जब हमारी मम्मी को हमारा बाप मारता तब कोई नही कहता था आज हमने मारा तो सब हमसे कह रहे है** और पुलिस ने सुन्दर लाल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी तो मैनें पुलिस को बताया था कि राममूर्ति व सुन्दर लाल का लड़ाई झगड़ा करना रोज का काम है। **पुलिस ने मृतक राममूर्ति का पंचायतनामा कराया था। पंचायतनामें पर मेरे भी हस्ताक्षर है। पत्रावली में संलग्न पंचायतनामा प्रदर्श क–2 पर बने अपने हस्ताक्षर की मै पुष्टि करता हूॅ।**

36– जिरह मे कहा कि मै लेखपाल हूॅ। **घटना के समय मै पड़ोस के गांव**

में राधेश्याम गुप्ता के घर दावत में था। घटना के समय घटना स्थल पर नही था न ही मैनें राममूर्ति को मारते हुये देखा है। मरते हुए भी नही देखा है। जिस समय की घटना है उस समय मटर व गोभी की खेती होती है। राममूर्ति की खेत में मटर की खेती होती थी। खेत में राममूर्ति अपने मटर के खेत की रखवाली करते है, हो सकता है वहॉ पर काफी जानवर खेतो में चरने आते है। मुझें फोन पर जानकारी दी गयी थी। तब मैनें 112 पर फोन किया था। **राममूर्ति की लाश खेत में पड़ी हुयी थी।** सुन्दर लाल दारू पीता है या नही जानकारी नही है। राममूर्ति की जहॉ लाश पड़ी थी वहॉ मै गया था। काफी लोग गये थे। घटना के समय सुन्दर लाल अपने घर पर सो रहा था। प्रार्थना पत्र सुन्दर लाल की माता जी ने दिया था। पुलिस कम से कम 20 मिनट बाद आयी थी। पुलिस लाश लेकर चली गयी थी। जब पुलिस आयी तो धीरे–धीरे लोग अपने घर चले गये। विवेचना में पुलिस ने मेरे बयान नही लिये थे। मुझें कभी थाने नही बुलाया गया। पंचनामा में सिर्फ हस्ताक्षर हुये थे। सुन्दर लाल को वर्तमान में कोई लड़ाई झगड़ा करते नही देखा। इस समय मैनें उसे कभी नशे में नही देखा।

37– पी0डब्लू0–4 ओमप्रकाश ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना के समय मै बाजार में था। मै दिन में 11 बजे बाजार गोभी बेचने ले गया था और घटना वाली रात को करीब 9 बजे वापस घर आया था। जब मै घर पहुंचा तब रोने पीटने, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव के लोग मौके पर नही थे सुन्दर लाल की मॉ व बहन रो पीट रही थी। मैनें घटना वाले दिन सुन्दर लाल को शराब के नशे में राममूर्ति उर्फ दूबर को मारते पीटते हुये नही देखा क्योंकि मै मौके पर नही था और मै घटना के समय बाजार में था।

38– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया कि मेरा मकान और सुन्दर लाल का मकान आमने सामने है। **राममूर्ति एवं सुन्दर दोनों शराब पीते थे। राममूर्ति व सुन्दर लाल दारू के नशे में अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे।** यह तथ्य मुझें मालूम है कि सुन्दर लाल व राममूर्ति बाप–बेटे है। यह बात मुझें मालूम है कि सुन्दर लाल और सुन्दर लाल की अम्मा बिट्टो में सुलह–समझौता हो गया है। आज मै और सुन्दर लाल घर से कचहरी साथ में ही आया था। मै घर से चलकर, सुन्दर लाल के सथ आकर कचहरी में सुन्दर लाल के वकील के बस्ते पर गया। सुन्दर लाल ने मेरा किराया दिया और वापस जाने का किराया भी सुन्दर लाल देगें। न्यायालय में उपस्थित होकर सही बात नही बतायी है। यह मुझें ज्ञात नही है कि **मृतक राममूर्ति अपनी पत्नी को दारू के नशें में मारता–पीटता था इसी वजह से**

सुन्दर लाल ने मार पीट कर राममूर्ति को मार डाला। राममूर्ति अपने खेत में मटर की फसल की रक्षा के लिये खेत पर गये थे। क्योंकि वहॉ पर आवारा पशु घूमा करते है।

39– पी.डब्लू–5 डा0 राजीव गुप्ता ने अपनी मुख्य परीक्षा मे कथन किया है कि **दिनांक–15.02.2022 को मेरी डियूटी पोसट मार्टम हाउस उन्नाव में थी। उसी दिन मृतक राममूर्ति का शव सील मुहर सहित सी.पी. रोहितास थाना सोहरामऊ उन्नाव के द्वारा समय 1.00 पी0एम0 को लाया गया था।** शव का पोस्ट मार्टम प्रारम्भ करने का समय 1.50 पी0एम0 दिनांक–15.2.22 तथा समाप्त होने का समय 2.40 पी0एम0 किया गया। शव की शिनाख्त अमरेश पुत्र विजय शंकर ने की।

वाह्य परीक्षण–मृतक की लम्बाई 157 सेमी0 थी। मृतक का शरीर मध्यम औसत कद काठी का था। मृतक के शरीर में मृत पश्चात जकड़न पी.एम स्टेनिंग मौजूद थी। मृतक के दोनों नाक से रक्त के साथ झाग मौजूद थी। मृतक के शरीर में जगह–जगह पर सूखी पत्तियॉ चिपकी हुयी थी। मृतक की दोनों ऑखे व मुंह बन्द था।

वाह्य चोटे–1 मृतक के सर में कान के ऊपर बाये तरफ सूजन मौजूद थी। जिसका साइज 10 x 5 सेमी0 है जिसके नीचे की सर की हड्डी टूटी हुयी थी।

2– बाये हाथ के टर्जनी में 1 x 1 सेमी0 के खरोज का निशान मौजूद था।

3– दाहिने पैर में खरोच का निशान था जिसका साइज 2 x 1 सेमी0 जो कि घुटने से 5 सेमी0 नीचे था।

40– जिरह मे उक्त साक्षी ने कथन किया है कि मैनें राममूर्ति का पोस्ट मार्टम दिनांक–15.02.22 को किया था। कां0 सी.पी. रोहितास के द्वारा लाया गया था। मृतक के शरीर पर सूखी पत्तियॉ चिपकी हुयी थी। इस प्रकार की चोटे जानवर के पटकने से आ सकती है। राममूर्ति के एक दिन के अन्दर की चोटे थी उक्त साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–3 को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया तथा **मृतक राममूर्ति की मृत्यु का कारण कोमा और मृत्यु की वजह मृत्यु पूर्व की चोटे बताया गया है।**

41– पी.डब्लू–6 हेड का0. रेयाज अली जो मामले के एफ.आई.आर. लेखक है जिसने मु0अ0सं0–23/2022 धारा–304 भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया था। चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–4 व जी0डी0 प्रदर्श क–5 के रूप में स्थापित किया

गया है।

42– पी.डब्लू–7 अखिलेश तिवारी जो संबंधित मामलें के विवेचनाधिकारी है जिन्होने ने मामले की विवेचना करते हुए गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–6 तथा नक्शा–नजरी घटना स्थल प्रदर्श क–7 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2 एवं इससे सम्बन्धित प्रपत्र सी.एम.ओ. चिट्ठी, आर.आई. चिट्ठी, फोटो लाश, नमूना सील, पुलिस फार्म–13 जिस पर प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10, प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12 डाला गया तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुन्दर लाल पुत्र स्व0 राममूर्ति निवासी बाबाखेड़ा थाना सोहरामऊ उन्नाव के विरूद्ध धारा–304 आई0पी0सी0 का अपराध साबित होने पर आरोप पत्र सं0–49/22 दिनांक 28.03.22 प्रेषित किया गया जो पत्रावली पर प्रदर्श क–13 के रूप मे संलग्न है। उक्त प्रपत्रों को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है।

43– पी.डब्लू–8 विजय शंकर जो मामलें का तथ्य का साक्षी है। उसने अपने बयान मे कथन किया है कि राममूर्ति मेरे सगे भाई थे। राममूर्ति को गांव में दूबर के नाम से भी जाना जाता था। सुन्दर लाल मेरा सगा भतीजा है। स्व0 राममूर्ति मेरे सगे छोटे भाई थे। स्व0 राममूर्ति का लड़का सुन्दर लाल है। सुन्दर लाल का मै सगा चाचा हूॅ। राममूर्ति से मेरी बोलचाल थी। राममूर्ति के मरने का मुझें गम है। यह कहना गलत है कि उपरोक्त मुकदमें में वादी मुकदमा बिट्टो व अभियुक्त सुन्दर लाल के मध्य सुलह समझौता हो गया है इसलिए मै आज सही बात नही बता रहा हूॅ। **यह बात सही है कि मै भी यही चाहता हूॅ कि सुन्दर लाल बिट्टो को अकेला लड़का है इस मुकदमें से बरी हो जाय।**

44– संबंधित मामलें मे यह तथ्य भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी पी.डब्लू–5 डाक्टर राजीव गुप्ता के द्वारा मृतक राममूर्ति के शव का पोस्टमार्टम किया गया है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि **मृतक की मृत्यु का कारण कोमा और मृत्यु पूर्व की चोटे थी।** मृतक के शरीर पर कई गम्भीर चोट के निशान पाये गये।

45– <u>**योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह ए.आई.आर 2016 एस.सी. 5160**</u> मे यह मत अभिनिर्धारित किया गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य का प्रयोग सम्पुष्टि साक्ष्य के रूप मे किया जाता है। यदि वह प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से मेल खाये तो उन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नही होता। संबंधित मामलें मे मृतक राममूर्ति के सर में कान के ऊपर बाये तरफ सूजन मौजूद थी। जिसका साइज 10

x 5 सेमी0 है जिसके नीचे की सर की हड्डी टूटी हुयी थी।,बाये हाथ के टर्जनी में 1 x 1 सेमी0 के खरोज का निशान मौजूद था।,दाहिने पैर में खरोच का निशान था जिसका साइज 2 x 1 सेमी0 जो कि घुटने से 5 सेमी0 नीचे था तथा सर के बाये तरफ रक्त का थक्का मौजूद था एवं **बायी पैराइटल एवं आक्सीपीटल हड्डी टूटी हुयी थी। मस्तिष्क की झिल्ली एवं मस्तिष्क फटा हुआ था। फेफडे व फेफड़े की झिल्लियॉ कन्जस्टेड थी।** मृत्यु का कारण कोमा और मृत्यु की वजह मृत्यु पूर्व की चोटे थी। सभी चोटे एन्टीमार्टम थी। **चोटे मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।**

46– प्रस्तुत प्रकरण मे वादिनी मुकदमा बिट्टों जो अभियुक्त सुन्दर लाल की सगी मां है तथा मृतक राममूर्ति की पत्नी है तथा उसके द्वारा थाने पर दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तहरीर वादिनी मुकदमा द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की दी गयी थी कि–प्रार्थिनी श्रीमती बिट्टो पत्नी स्व0 राममूर्ति निवासी ग्राम बाबाखेड़ा मजरा (भैसोरा) थाना सोहरामऊ, तहसील हसनगंज, उन्नाव की निवासिनी हूँ। दिनांक–14.02.2022 को मेरे पति राम मूर्ति समय करीब 8.00 बजे शाम को खेत पर लगी मटर को आवारा पशुओं से बचाने गये थे जो खेत पर मौजूद थे, उसी समय शराब के नशे में मेरा का लड़का सुन्दर पुत्र राममूर्ति निवासी बाबा खेड़ा भैसोरा थाना सोहरामऊ उन्नाव खेत पर पहुंच गया और मेरे पति राममूर्ति से मारपीट करने लगा। शोरगुल की आवाज खेत से होने की मुझें जानकारी मिली तो मै अपनी बेटी राम प्यारी व दामाद पिन्टू के साथ मौके पर पहुंचे तो मेरा का लड़का सुन्दर लाल पति को मार पीट कर गंभीर चोट पहुंचा कर भाग गया। गंभीर हालत देखते हुए हम लोग इलाज के लिए साधन तलाशने लगे तब तक देखा कि मेरे पति राममूर्ति की मृत्यु हो गई जिनका शव मौके पर खेत में ही पड़ा हुआ है।

47– संबंधित मामले मे अत्यन्त महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि वादिनी मुकदमा बिट्टों जो न्यायालय के समक्ष पी.डब्लू–1 के रूप मे अभियोजन के द्वारा परीक्षित कराया गया है उसने अपनी मुख्य परीक्षा मे साक्ष्य के माध्यम से तहरीर प्रदर्श क–1 व पंचायतनामा मृतक राममूर्ति जो प्रदर्श क–2 है उसे साबित किया है तथा जिरह मे कथन किया कि जिस दिन मेरे पति की मौत हुयी थी उस दिन अपनी लड़की राम प्यारी की ससुराल ग्राम बेगमखेड़ा में थी। पति के मरने की सूचना जेठ विजयी की बहू ने मुझें फोन करके दी थी सूचना पाकर मै लड़की राम प्यारी दामाद पिन्टू के साथ आयी थी।

48– उपरोक्त साक्षी के सक्ष्य से स्वतः स्पष्ट होता है कि **अभियुक्त सुन्दर लाल जो वादिनी मुकदमा का सगा लड़का है तथा मृतक राममूर्ति जो उसका पति था कोई मां अपने सगे पुत्र के खिलाफ तहरीर थाने पर क्यों देगी जबतक की उक्त घटना मे पूरी तरह से सच्चाई न हो।** उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है किन्तु जिरह मे जो साक्ष्य दिया गया है वह मिथ्या साक्ष्य दिया है।

50– **अब यहाँ यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या तत्सम्बन्धित प्रकरण में यदि अभियोजन के तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–4 यदि पक्षद्रोही हो गये हो तो क्या अन्य अभियोजन के शेष साक्षी एवं चिकित्सीय साक्ष्य व औपचारिक साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नही।**

51– **यहाँ यह गौरतलब तथ्य है कि तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 जो कि मृतक की सगी पत्नी है उसने घटना को देखने से इंकार किया है एवं साक्षी सं0–4 ओमप्रकाश जो कि मृतक के गांव का है उसने भी ऐसी कोई घटना होने से इंकार किया है एवं साक्षी पी0डब्लू0–8 द्वारा भी घटना से इंकार किया गया है किन्तु पी.डब्लू–1 बिट्टों वादिनी मुकदमा के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि मेरे पति शराब पीते थे लड़का मेरा कभी–कभी शराब पी लेता था जब शराब मेरा लड़का व पति पी लेते थे तो कभी कभार झगड़ा होता था और दोनों मे मारपीट हो जाती थी मेरे पति व लड़के मे घरेलू बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाता था। उक्त बयानों से स्पष्ट है कि बाप बेटे मे घरेलू बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और शराब के नशे मे सुन्दर लाल ने अपने पिता राममूर्ति को मार डाला।**

52– **जब कि पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–2 के रूप में पंचायतनामा की रिपोर्ट जो कि पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त पंचायतनामा को भी वादिनी मुकदमा बिट्टों के द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है।**

53– **राय पंचान के अनुसार पंचो की राय में मृतक राममूर्ति पुत्र स्व0. सुखलाल निवासी बाबाखेड़ा मजरा भौसेरा थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र 52 वर्ष की मृत्यु, मृतक के खेत पर मृतक राममूर्ति के पुत्र सुन्दर लाल द्वारा राममूर्ति को मारने पीटने से आई चोटों के कारण हुई है फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पोस्ट मार्टम करा लिया जाये।**

54– **मृतक के शव का निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया है कि मृतक**

की बांयी पैराइटल एवं आक्सीपीटल हड्‌डी टूटी पायी गयी मस्तिष्क की झिल्ली एवं मस्तिष्क फटा हुआ था फेफड़े व फेफड़े की झिल्लियां कन्जेस्टेट थी। मृतक की मृत्यु की वजह कोमा और मृत्यु पूर्व आई चोटें के कारण हुई।

55– अग्रेतर पत्रावली पर क6/1 लगायत 6क/3 जो कि शव विच्छेदन हेतु भेजे जाने की प्रकिया है उससे सम्बन्धित है जो कि पी0डब्लू0–5 द्वारा प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है।

56– अग्रेतर पत्रावली पर मृतक राममूर्ति के शव विच्छेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक पुलिस प्रपत्र है जिसे कि पी0डब्लू0–7 द्वारा प्रदर्श क–8 लगायत प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है।

57– इसी प्रकार अग्रेतर पत्रावली पर उपलब्ध गिरफ्तारी प्रपत्र जो कि प्रदर्श क–6 के रूप में पी0डब्लू0–7 द्वारा साबित किया गया है।

58– पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श क–6 जो कि साक्षी पी0डब्लू0–7 द्वारा साबित किया गया जो कि गिरफ्तारी का प्रपत्र है जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं गिरफ्तार होने के पश्चात अभियुक्त द्वारा अपना नाम सुन्दर लाल पुत्र स्व0.राममूर्ति उम्र करीब 24 वर्ष निवासी बाबाखेड़ा मजरा भौसेरा थाना सोहरामऊ जिला उन्नाव बताया गया।

59– अग्रेतर पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं0–क6/1 लगायत क6/3 जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसे साक्षी सं0–5 डा0 राजीव गुप्ता द्वारा प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया गया है जिसके रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का तत्कालिक कारण कोमा और मृत्यु पूर्व की चोटे बताया गया है।

60– यहाँ यह विवेचित किया जाना समीचीन होगा कि तथ्य के साक्षीगण जो कि पक्षद्रोही घोषित हो चुके है तथा जिन्होने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है उनकी यह बात अपने आप में गलत साबित हो जाती है कि मृतक खेतों पर फसल की रखवाली करने गया था खेत मे मटर की फसल खड़ी थी वही पर किसी जानवर ने गाय या सांड ने पटक दिया जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी।

61– यहाँ यह विवेचित किया जाना समीचीन होगा कि यदि मृतक को किसी गाय अथवा सांड ने पटका होता तो उसके पीट अथवा शरीर के अन्य स्थानों पर भी चोट अवश्य ही आती किन्तु मृतक की मृत्यु कोमा मे जाने के कारण डाक्टर द्वारा अपने बयान मे कहा गया है।

62– यह गौरतलब तथ्य है कि चूंकि तथ्य के साक्षी अभियुक्त के

परिवारीजन है तथा उनके द्वारा अपनी जिरह मे अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया गया है।

63– **इसी आशय की वजह से अभियुक्त के विरूद्ध तथ्य के किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है। जब कि पत्रावली पर उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि प्रदर्श क–3 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है।**

64– **उपर्युक्त समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियुक्त सुन्दर लाल के द्वारा दिनांक 14.02.2022 को समय गरीब 8:00 बजे बहद स्थान खेत वादिनी ग्राम बाबाखेड़ा मजरा भैसोरा जनपद उन्नाव मे घरेलू बातों को लेकर अपने सगे पिता राममूर्ति को मारपीट कर चोटे पहुॅचाई गई तथा उसके द्वारा हत्या की कोटि मे न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया गया।**

65– **यह भी विवेचित किया जाना समीचीन होगा कि अभियुक्त ने अपने सगे पिता को घरेलू बातों को लेकर पिता राममूति को मारपीट कर उनकी हत्या कारित किये जाने का अपराध कारित किया।**

66– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतः स्थापित हो रहा है कि अभियुक्त सुन्दर लाल द्वारा अपने पिता को घरेलू बातों को लेकर उसे मारपीटा गया जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, जब कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त के लिए गये बयान में अभियुक्त द्वारा इस तथ्य को प्रमुखता से कहा गया है कि"जब हमारी मम्मी को हमारा बाप मारता था तब कोई नही कहता था। आज हमने मारा तो सब कह रहे है।" अभियुक्त के इस बयान से भी स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा ही घरेलू विवाद को लेकर अपने पिता को मार कर आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट से होती है।

67– अतः उपरोक्त विवेचन के आलोक में उपरोक्त अवधार्य बिन्दु इस आशय से निर्णीत किया जाता है कि अभियोजन अभियुक्त सुन्दर लाल के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 के अपराध को स्थापित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः उपरोक्तानुसार अभियुक्त सुन्दर लाल को आरोप अन्तर्गत धारा–304 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

1– अभियुक्त **सुन्दर लाल** को सत्र परीक्षण **सं0–441/2022**, **मु0अ0सं0–23/2022**, थाना–**सोहरामऊ** जनपद, उन्नाव में आरोप अन्तर्गत **धारा–304 भा0दं0सं0** में दोषसिद्ध किया जाता है।

2– अभियुक्त सुन्दर लाल जमानत पर है उसके जमानतनामें एवं मुचलके निरस्त किये जाने योग्य हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्यों से उन्मोचित किये जाने योग्य है। पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक–16.06.2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16.06.2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।

16.06.2026

लंच बाद पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

विद्वान लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को दण्ड के बिन्दु पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान लोक अभियोजक की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने पिता को घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर हत्या की कोटि मे न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया ऐसी स्थिति में उसे अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये। जब कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि अभियुक्त अत्यन्त गरीब है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने पिता को घरेलू बातों को लेकर मारपीट कर हत्या की कोटि मे न आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित किया है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त **सुन्दर लाल** को **मु0अ0सं0–23/2022** अन्तर्गत **धारा–304 भा0दं0सं0 में** निम्न दण्डादेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा

दण्डादेश

1. दोषसिद्ध/अभियुक्त **सुन्दर लाल** को **धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध में **दस वर्ष कारावास** एवं **मु0–5,000/–(पॉच हजार रूपये)** के अर्थदण्ड से

दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में **छः माह** का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

2. अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि, उपरोक्त सजा में समायोजित की जाएगी।

3. अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट तदनुसार तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

4. अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक–16–06–2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित,दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–16–06–2026

(कविता मिश्रा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं01,उन्नाव।